140 लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों (मिनी रत्नों) के लिए वित्तीय और प्रचालन संबंधी स्वायत्तता–निष्पादन की मॉनीटरिंग

सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक कार्यकुशल और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की नीति के अनुसरण में सरकार ने तारीख 9.10.97 के दो समसंख्यक कार्यालय ज्ञापनों द्वारा लाभ अर्जित करने वाले पात्र उद्यमों को विभिन्न मामलों पर बढ़ी हुई स्वायता प्रदान करने के लिए और उनके बोर्ड के पुनर्गठन के लिए पहले ही दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

2. इन लोक उद्यमों के कार्य निष्पादन की मॉनीटरिंग मुख्य तौर पर उनके अपने बोर्ड द्वारा की जाएगी। प्रशासनिक मंत्रालय भी कार्य निष्पादन को मॉनीटर करना जारी रखेगा। यह निष्पादन मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव, लोक उद्यम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और बाहर के एक या अधिक विशेषज्ञों से मिलकर बनी टीम द्वारा तिमाही आधार पर किया जाएगा। इस मॉनीटरिंग में प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास के विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। लोक उद्यम स्वयं अपने प्रौद्योगिकी स्तर के मूल्यांकन, प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने और उनके समावेश के लिए विशेष ध्यान देगा जो उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए आवश्यक हों और उन्हें प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी दृढ़ता को बरकरार रखने के लिए अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। वे इस प्रयोजन के लिए बोर्ड स्तरीय समिति का गठन करेंगे।

3. शीर्ष स्तर पर सचिव (लोक उद्यम), सचिव (व्यय), सचिव (योजना आयोग) और प्रशासनिक सचिव (या उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम न हों) की सदस्यता वाला समूह अंतर–मंत्रालयीन विचार–विमर्श और लोक उद्यम के कार्य निष्पादन पर नजर रखने के लिए फोरम के रूप में कार्य करेगा। यह समूह लोक उद्यमों की नीतिगत योजना और लक्ष्यों पर ध्यान देगा और समय–समय पर उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा करेगा। इस समूह का उद्देश्य लोक उद्यमों को उनके कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए सक्रिय और सकारात्मक सहयोग प्रदान करना भी है।

4. ये उद्यम प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समझौता ज्ञापन जारी रखेंगे जिनमें विभिन्न क्रियाकलापों और निष्पादन मानदण्डों से संबधित लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सार्थक और चुनौतीपूर्ण निष्पादन लक्ष्य निर्धारित किए जाएँ और यह कार्य प्रशासनिक मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग और बाहर के विशेषज्ञ (ज्ञों) के नामितियों से मिलकर बने दल द्वारा किया जाए।

5. आप इस समीक्षा और मॉनीटरिंग तंत्र को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले उद्यमों की जानकारी में लाएं और तुरंत प्रभाव से उसे लागू करें।

(लो.उ.वि. का का.ज्ञा.सं.11/36/97–वित्त, तारीख 9.10.1997)